अस्पतालों में बढ़ाए जाएं डॉक्टर

नई दिल्ली, 3 मार्च। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस से बचाने के लिए अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त किए जाएं। इसके लिए डॉक्टर व पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों के लिए युद्धस्तर पर पृथक विशेष आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक वायरस से लड़ने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) तथा दिल्ली मेडिकल एसोशिएशन (डीएमए) से परामर्श नहीं किया है। **(जसं)**

कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च

दिल्ली में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई, जहां कोरोना वायरस के बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की गई है कि कोरोना वायरस से डरे नहीं। केवल कुछ सावधनियां बरतें।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी दिल्ली में एक ही मामला आया है और वह सफदरजंग अस्पताल में है। कोरोना वायरस एक नया वायरस है और अभी तक इसका कोई उपचार सामने नहीं आया है। इस बीमारी से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने 25 अस्पतालों में विशेष कक्ष तैयार किए हैं। इसमें 19 सरकारी और 6 निजी अस्पतालों में है। इस बीमारी की जांच के अभी देश में 12 केंद्र हैं। जल्द ही दिल्ली सरकार भी इसके लिए इंतजाम करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि बीमारी की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है और अस्पतालों में 230 बिस्तर का इंतजाम किया गया है। यह एक फ्लू है और संक्रमित व्यक्ति के ज्यादा नजदीक जाने से फैलने का खतरा है। इससे दिल्ली को बचाने के लिए सरकार ने पूर्ण तैयारियां की हैं। सरकार के पास पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध हैं। इन मरीजों के लिए 8 हजार से अधिक स्वास्थ्य किट व एन95 मास्क उपलब्ध है। जो कि डॉक्टरों को दिए जाएंगे।

फोटो : अरुष चोपड़ा

कोरोना पर केंद्र भी करेगा सहयोग

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। कोरोना वायरस का एक मामला दिल्ली और एक तेलंगाना में आया है। इस बीमारी को रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिल कर काम करेंगे।

स्कूलों को परामर्श जारी

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के कुछ स्कूलों ने छात्रों के अभिभावकों को परामर्श भेजकर सुझाव दिया है कि बच्चों को सर्दी जुकाम की थोड़ी सी भी शिकायत होने पर उन्हें स्कूल न भेजें। परामर्श में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर स्कूलों में छुट्टी भी की जा सकती है। एक छात्र के पिता में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के बाद नोएडा के दो निजी स्कूलों ने एहतियात के तौर पर मंगलवार से आगामी कुछ दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी।

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली-एनसीआर के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
बैंग्लोर फ्लोरा लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय 85, भारत नगर, नई दिल्ली-110065 में है .... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 12 दिसम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे इसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय: 85, भारत नगर, नई दिल्ली-110065

बैंग्लोर फ्लोरा लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
ओ.पी. गर्ग
DIN: 00039625

तिथि: 12 दिसम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली के समक्ष

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

ओ.ए. सं. 732/2019 के मामले में

बीओएम **आवेदक**

विरूद्ध

शशि गुप्ता एवं अन्य **प्रतिवादीगण**

डी-1 श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी श्री नवल कान्त, मकान नंबर 168, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव फलैट, अशोक विहार, फेज-4, नई दिल्ली-110052

डी-2 श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री नवल कान्त, मकान नंबर 168, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लैट, अशोक विहार, फेज-4, नई दिल्ली-110052

डी-3 मैसर्स आम्रपाली स्मार्ट सिटी डवलपर्स प्रा. लि, पंजीकृत कार्यालय, 307, तृतीय तल, निपुण टावर, कड़कड़डूमा, कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली-92

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **08-04-2020 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 12 फरवरी, 2020 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी-।।।, नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली के समक्ष

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

ओ.ए. सं. 745/2019 के मामले में

बीओएम **आवेदक**

विरूद्ध

अभय कुमार एवं अन्य **प्रतिवादीगण**

डी-3 आम्रपाली स्मार्ट सिटी डवलपर्स (पी) लिमिटेड इसके निदेशक के माध्यम से, 307, तृतीय तल, निपुण टावर, कम्युनिटी सेंटर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-92

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **08-04-2020 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 12 फरवरी, 2020 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी-।।।, नई दिल्ली

UFLEX यूफ्लैक्स लिमिटेड

'A part of your daily life'

CIN : L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, मानोट कॉर्नर, पाम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, **फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922**
वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्कुलर तिथि 06/11/2018 अर्थात SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 के अंतर्गत अंतरण के लिये अंतरिती द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है। यदि किसी व्यक्ति का निम्न शेयरों में कोई दावा/कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी को लिखें/कम्पनी के पास अपनी आपत्ति भेजें जिसमें विफल रहने पर यह कम्पनी मेरिट्स के आधार पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वित्तीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

फोलियो	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	शेयरों की सं.
33786	55456 55458	6445020 - 6445069 6445120 - 6445169	दीपक भाटिया सुनीता भाटिया	राज कुमार शर्मा	100

कृते यूफ्लैक्स लिमिटेड
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी-001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

स्थान : नोएडा
तिथि : 03.03.2020

प्रपत्र क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28/08/2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51909DL2012PTC241226
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय** : 303-ए और बी, तीसरी मंजिल, सागर कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 5, नई राजधानी एन्क्लेव, दिल्ली -110092 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	आदेश की तिथि : 28/02/2020 आदेश प्राप्त हुआ : 03/03/2020
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	29/08/2020 (दिवाला प्रक्रिया होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नाम : नवीन कुमार जैन** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**पता :** 2236, सैक्टर 46, गुरुग्राम - 122001 **ईमेल :** insolvencyprofessional@rediffmail.com [यह ईमेल दावा प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता]
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	**पता:** एफ-1, राम चंद्र गहलोत मार्ग, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059 **ईमेल :** cirp.omar@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	16/03/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	सीमित जानकारी के आधार पर धारा 21 (6 ए) (बी) के तहत लेनदारों का कोई वर्ग नहीं है
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads **फॉर्म बी-** परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए कामकाजी और कर्मचारियों को छोड़कर **फॉर्म सी-** वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म डी-** काम करने वालों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म ई-** श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए **फार्म एफ-** लेनदारों द्वारा दावों के लिए (वित्तीय लेनदारों और कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिचालन लेनदारों के अलावा) भौतिक पता: एफ-1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **28 फरवरी 2020** को **ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **16 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर : **नवीन कुमार जैन**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097

दिनांक : 03 मार्च 2020
स्थान : नई दिल्ली

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,
फोन : 011-23441330,
ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन
अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **24.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य (रु.)	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
			बकाया राशि	धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि			
जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स केल्टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. **(CIN no. U45400DL1995PLC069126)** उधारकर्ता/गारंटर: 1. श्री नरिंदर कुमार 2. सुश्री इंदु बाला 3. श्री मनीष कुमार गोयल	लीज़ होल्ड निर्मित अर्पाटमेंट का हिस्सा, खसरा नं. 923,921,910, जीएच-06, के1 टॉवर, गोल्फ विस्टा, क्रॉसिंग रिपब्लिक, धुंधाहेरा, गाजियाबाद, यूपी में स्थित, फ्लैट अर्थात 007,112,211,409,607,712,912, 1007,1010,1212,1307,1312,1407,1408, 1409,1412,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1607,1608,1609,1610,1611,1612 प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल (लगभग) 1725 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स केल्टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के नाम पर है।	21-10-2016 रु. 10,58,86,632/- प्लस दिनांक 21.10.2016 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	₹ 10,50,00,000/- ₹ 1,05,00,000/- ₹ 1.00 लाख	**24-03-2020 को अर्पाह्न 01.00 बजे से अर्पाह्न 02.00 बजे तक**	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	**श्री यश पाल चावला मो. 9584317482**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 23.03.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**
सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 19.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 03.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 23.03.2020) को अर्पा. 04.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 23.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झां, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548, हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 04-03-2020, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482,
ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई-नीलामी सूचना

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन
अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **23.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य (रु.)	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
				बकाया राशि	धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि			
1	**जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली**	माँ भगवती एजुकेशन सोसायटी 1. श्री राकेश कुमार सिंघल 2. हंस राज सिंघल 3. मोहन कुमार सिंघल 4. रोहन सिंघल 5. हिमांशु सिंघल 6. घनश्याम दास 7. एम एल अग्रवाल 8. श्रीमती मीना सिंघल	फ्री होल्ड भूमि, खसरा नं. 406 का हिस्सा, एमई, **406KH,403,404,655 ME,656ME, 394** जोकि गाँव- मसूरी, एन एच-24, गाजियाबाद मे स्थित, क्षेत्रफल 4.1965 हैक्ट. साथ में भवन एवं संरचनाएं/उपकरण और फिक्चर्स एवं फिटिंग, यह सम्पत्ति **माँ भगवती एजुकेशन सोसायटी के नाम पर है।**	15.10.2014 रु. 30,86,04,552 दिनांक 15-10-2014 तक प्लस ब्याज संविदात्मक दर पर ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि	₹ 27.00 करोड़ ₹ 2.70 करोड़ ₹ 5.00 लाख	**23-03-2020 को अर्पाह्न 01.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक**	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	**श्री यश पाल चावला मो. 9584317482**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 21.03.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव सांकेतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 21.03.2020) को अर्पा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 21.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झां, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548, हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 04-03-2020, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

www.readwhere.com